

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

गोपाल

बनाम

पुष्पेश्वरी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

२२३/२०२२/३५२

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
२०/५/२०२०	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>गोपाल श्री मांगीलाल भोई, जन्मुकाई पत्नी</u> <u>मेखलाल भोई श्री गानूराम भोई, मुकेश प्रिया उदयलाल भोई</u> श्री श्री मांगीलाल श्री गानूराम, सुन्दरी श्री उदयलाल भोई</p> <p>निवासी- <u>भोई रवेडा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>पिपली (ओड़ुन्)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>३८६ सी, ३८९</u> <u>३९३</u></p> <p>कुल कीता <u>३</u> कुल रकबा <u>७.३०००</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>पिपली (पन्हा ओड़ुन्)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>३८६ सी, ३८९, ३९३</u></p> <p>कुल कीता <u>३</u> रकबा <u>७.३०००</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>१५००/-</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार पंच सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">↓ (श्याम सुन्दर विनोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (चित्तौड़गढ़ राज.)</p>